संख्या- 318 /2023/ 6023 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2023**

विषय:- अयोध्या में दीपोत्सव - 2023 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2967 /सं0नि0-15(43)/2021-22, दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार अयोध्या में दीपोत्सव - 2023 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 151.00 लाख (रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1) दीपोत्सव - 2023 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत शोभा यात्रा एवं मंचीय कलाकारों के मानदेय हेतु धनराशि रू0 61.32 लाख अग्रिम आहरित कर अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य शेष धनराशि के संबंध में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा बिल/ वाउचर्स उपलब्ध कराये जाने पर संस्कृति निदेशालय द्वारा सत्यापन के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
2) कलाकारों को मानक के अनुसार अनुमन्य धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
3) स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4) समस्त कार्यों के फोटोग्राफ, वीडियो आदि का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
6) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
8) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
10) उक्त व्यय धनराशि की उपलब्धता की सीमा तक ही सुनिश्चित किया जायेगा।
11) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
12) आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03 - संस्कृति निदेशालय-42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 318 /2023 / 6023 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।